

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2254-I T M, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा

संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, I T M, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:कार्यालय स्वरुप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी क्वॉलिफिकेशन ऑफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दा पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2254-INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW, NH-24, MAMPUR BANA, BAKSHI KA TALAB, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा चर्चि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश अखण्ड।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक- 15-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

प्रथम राष्ट्रीय योजनाओं की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय अखण्ड शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सेंटिक सत्र 2020-21 हेतु जिलों/संघीय क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखण्ड प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समतल मुक्ति सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सं-13 में निर्णय हेतु इन्हें पाठ्यक्रम अर्जित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यथा विचार-विमर्श कर सिफारिशें निर्धारित किये गये।

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिन्हें सत्र 2020-21 में एम्बार्डेन्सी/सीटिंग द्वारा संस्था में संघटित कठिनाय पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी की गयी है, जो सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु एम्बार्डेन्सी/सीटिंग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार परिषद ही सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में सिद्ध गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सिफारिशें जारी की गयीं। पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्बार्डेन्सी/सीटिंग / सत्र 2019-20 में अनुमोदित संस्था	एम्बार्डेन्सी/सीटिंग 0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2234	आईटीएमए जेम्स का कालम, लखनऊ।	बालिकाओं की शिक्षा हेतु इंटरमिडियट हेतु इंटरमिडियट हेतु इंटरमिडियट हेतु इंटरमिडियट हेतु	30 120 80 80 80

सम्बद्धता हेतु जारी

- ✓ संस्था एम्बार्डेन्सी/सीटिंग द्वारा निर्धारित की गयी क्षमता का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1982 संशोधित विनियमों-2016 तथा अन्य विनियमों के अंतर्गत अनुमोदन करती तथा उक्त निर्धारित क्षमता द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रम हेतु ₹ 30,000.00/- प्रतिवर्ष एवं सीटिंग/पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर आशय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आसपास के अर्जित होने और अनुसूचित जाति/प्रादेशी कक्षा के अनुमोदन हेतु। उक्त निर्धारित क्षमता हेतु सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, जो प्रवेश की नवीनतम की जायगी।
- ✓ संस्था को (एम्बार्डेन्सी/सीटिंग) तथा उक्त निर्धारित, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने विनियमों-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटिंग के लिए यह जाने की क्षमता में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की जायेगी की जायेगी।
- ✓ संस्था को समझ-बूझ पर निर्भर आसपास के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

*(Handwritten Signature)*